भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1410**
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय- कृषि अवसंरचना निधि के तहत हिमाचल प्रदेश को निधि**
**1410. सुश्री कंगना रनौतः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार बागवानी क्षेत्रों में अपर्याप्त शीत भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अवसंरचना के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान से अवगत है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी कारण क्या हैं;
(ख) हिमाचल प्रदेश में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या, उनकी स्थिति और संवितरित की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के तहत सृजित की गई अवसंरचना, जिसमें नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, शीतागार, पैक हाउस और ग्रेडिंग इकाइयां शामिल हैं, का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों द्वारा संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सामना की जाने वाली चुनौतियों का आकलन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) क्या हिमालयी राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान प्रस्तावित हैं; और
(च) छोटे और सीमांत बागवानी किसानों के लिए जागरूकता और आउटरीच उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): सरकार देश भर में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने और फसलोपरांत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और व्यवहार्य कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें गोदाम, कोल्ड स्टोर, पैकिंग हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयाँ, परख इकाइयाँ, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, राइपनिंग चेंबर, लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ आदि शामिल हैं। यह योजना पात्र उधारकर्ताओं को ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम वार्षिक ऋण दर 9% है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित और औषधीय पौधों, नारियल, काजू और कोकोआ सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। इस योजना में उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन के लिए सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना ऋण और बैक-एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से वैज्ञानिक भंडारण क्षमता और अन्य कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन में सहायता प्रदान करती है। ये इंटर्वेंशन फसलोपरांत मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करते हैं और बागवानी उत्पादक क्षेत्रों सहित फसलोपरांत हानि को कम करने में सहायक होते हैं।

(ख) : एआईएफ के अंतर्गत, जुलाई 2020 से लेकर आज तक, हिमाचल प्रदेश में 598.90 करोड़ रुपये के ऋण के साथ कुल 1,184 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं, ऋण राशि और वितरित ऋण का जिलावार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : एआईएफ के अंतर्गत भंडारण, कोल्ड चेन, पैकिंग हाउस और ग्रेडिंग यूनिट सहित निर्मित अवसंरचना का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : एआईएफ योजना, पहाड़ी और हिमालयी राज्यों सहित, देश भर में समान रूप से कार्यान्वित की गई है, ताकि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), विपणन सहकारी समितियों जैसी पात्र संस्थाओं के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को संस्थागत ऋण तक पहुंच सुगम हो सके। एआईएफ के तहत परियोजनाओं के आवेदन जमा करने, अनुमोदन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल भी विकसित किया गया है।

(च ): एआईएफ योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों, केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू), बैंकों, नाबार्ड, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान आयोजित जाते हैं ताकि कार्यशालाओं, वेबिनारों, कृषि मेलों, प्रदर्शनियों, एफपीओ के साथ संवाद आदि के माध्यम से किसानों को योजना के लाभों और प्रावधानों के बारे में सूचित और शिक्षित किया जा सके। इस जागरूकता अभियान के तहत, संभावित लाभार्थियों को परियोजना को चिह्नित करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, बैंक से लिंक करने और पोर्टल आधारित आवेदन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*

अनुबंध-I

हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और वितरित फंड का जिलावार विवरण

| क्र.सं. | ज़िला | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | पूर्णतः वितरित परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | वितरित राशि (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिलासपुर | 60 | 56 | 30.88 | 25.95 |
| 2. | चंबा | 7 | 5 | 6.29 | 3.79 |
| 3. | हमीरपुर | 40 | 35 | 16.55 | 9.35 |
| 4. | कांगड़ा | 144 | 128 | 110.60 | 68.19 |
| 5. | किन्नौर | 51 | 47 | 8.73 | 6.12 |
| 6. | कुल्लू | 159 | 156 | 18.35 | 9.98 |
| 7. | लाहौल और स्पीति | 2 | 1 | 0.11 | 0.03 |
| 8. | मंडी | 156 | 150 | 39.42 | 31.61 |
| 9. | शिमला | 333 | 316 | 150.09 | 84.01 |
| 10. | सिरमौर | 42 | 39 | 45.88 | 21.73 |
| 11. | सोलन | 73 | 63 | 64.46 | 40.24 |
| 12. | ऊना | 117 | 109 | 107.54 | 77.54 |
| कुल | | 1184 | 1105 | 598.90 | 378.54 |

अनुबंध- II

योजना के अंतर्गत सीए स्टोरेज, कोल्ड चेन, पैक हाउस और ग्रेडिंग इकाइयों सहित निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

| एआईएफ के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं का विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| परियोजना राज्य | स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या | स्वीकृत कुल ऋण (करोड़ में) | परियोजना की कुल लागत (करोड़ में) |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 0.30 | 0.34 |
| आंध्र प्रदेश | 6922 | 3,699.51 | 11,572.37 |
| अरुणाचल प्रदेश | 6 | 7.75 | 21.03 |
| असम | 856 | 1,144.40 | 2,148.04 |
| बिहार | 2680 | 1,984.29 | 3,223.55 |
| चंडीगढ़ | 7 | 11.58 | 19.94 |
| छत्तीसगढ़ | 4261 | 2,883.55 | 5,252.17 |
| दिल्ली | 22 | 27.23 | 45.88 |
| गोवा | 42 | 53.96 | 84.07 |
| गुजरात | 6304 | 6,545.63 | 11,041.85 |
| हरियाणा | 11462 | 5,552.38 | 9,556.57 |
| हिमाचल प्रदेश | 1184 | 598.90 | 950.24 |
| जम्मू और कश्मीर | 423 | 737.30 | 1,121.81 |
| झारखंड | 753 | 627.02 | 989.94 |
| कर्नाटक | 5494 | 5,093.25 | 8,137.61 |
| केरल | 5265 | 1,700.61 | 2,598.35 |
| लद्दाख | 1 | 0.35 | 0.46 |
| मध्य प्रदेश | 54632 | 12,329.55 | 19,185.05 |
| महाराष्ट्र | 17646 | 10,603.78 | 18,370.24 |
| मणिपुर | 8 | 1.61 | 2.36 |
| मेघालय | 6 | 17.80 | 34.60 |
| मिजोरम | 2 | 3.07 | 3.96 |
| नगालैंड | 7 | 12.57 | 16.94 |
| ओडिशा | 6126 | 2,749.12 | 4,520.09 |
| पुदुचेरी | 15 | 11.40 | 17.77 |
| पंजाब | 36259 | 8,512.54 | 13,076.06 |
| राजस्थान | 6544 | 4,895.13 | 8,123.67 |
| तमिलनाडु | 9974 | 3,617.58 | 5,465.66 |
| तेलंगाना | 4877 | 5,955.52 | 10,026.33 |
| दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव | 1 | 1.00 | 1.61 |
| त्रिपुरा | 11 | 16.78 | 27.36 |
| उत्तर प्रदेश | 16994 | 9,799.04 | 16,736.74 |
| उत्तराखंड | 779 | 776.71 | 3,684.74 |
| पश्चिम बंगाल | 9264 | 3,403.15 | 5,479.82 |
| सकल योग | 208,828 | 93,374.36 | 161,537.22 |

*****